न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 128/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 20.02.2020
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. लटूर लाल आ0 गोपाल जाति चमार, निवासी ग्राम पोलाई कलां तहसील दीगोद, जिला कोटा

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार दीगोद, जिला कोटा
2. कुल सचिव, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर
3. प्रभारी अधिकारी, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र कोटा, प्रथम तल बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय परिसर मोखापाड़ा, कोटा

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री ओम प्रकाश प्रजापति अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 31.07.2024

अपीलांट ने जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वनजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 अन्तर्गत ग्राम पोलाईकलां तहसील दीगोद के खसरा संख्या 396 रकबा 2.95 हैक्टेयर भूमि में से 0.80 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी–ा पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्व विद्यालय बीकानेर को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन आदेश क्रमांक प2(8)(136)राजस्व–ा/17/1300–1307 दिनांक 09.04.2018 से आवंटित की गई। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 09.04.2018 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर कोटा द्वारा तहसीलदार दीगोद के प्रस्ताव व ग्राम पंचायत पोलाईकलां की सहमति/अनापत्ति के आधार पर ग्राम पोलाईकलां तहसील दीगोद के खसरा संख्या 396 रकबा 2.95 हैक्टेयर भूमि में से 0.80 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी–ा पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्व विद्यालय बीकानेर को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन आदेश क्रमांक प2(8)(136)राजस्व–ा/17/1300–1307 दिनांक 09.04.2018 से आवंटित की गई। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 09.04.2018 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि न्याय एवं आवंटन नियमों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पोलाई कलां तहसील दीगोद जिला कोटा की कृषि आराजी खसरा संख्या 396 की रकबा 2.95 हैक्टेयर में से 1.20 हैक्टेयर रकबा पिछले 40 वर्षों से

अति. सं. आयुक्त
कोटा

अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट के परिवार का भरण पोषण और आजिविका चली आ रही है। उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे की है तथा उसमें से ढाई बीघा रेस्पो0 2 एवं 3 के नाम आवंटन कर दी। आवंटन करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस नहीं दिया गया ऐसी स्थिति में दिनांक 09.04.2018 निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा दिये जाने पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त की जाकर अपील जानकारी की तिथि से अवधि मध्य प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र धारा 5 के साथ अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश दिनांक 09.04.2018 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि न्याय एवं आवंटन नियमों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पोलाई कलां तहसील दीगोद जिला कोटा की कृषि आराजी खसरा संख्या 396 की रकबा 2.95 हैक्टेयर में से 1.20 हैक्टेयर रकबा पिछले 40 वर्षों से अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट के परिवार का भरण पोषण और आजिविका चली आ रही है। उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे की है तथा उसमें से ढाई बीघा रेस्पो0 2 एवं 3 के नाम आवंटन कर दी। आवंटन करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस नहीं दिया गया ऐसी स्थिति में दिनांक 09.04.2018 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि जिला कलक्टर कोटा द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 09.04.2018 न्यायोचित है। जिला कलक्टर कोटा द्वारा तहसीलदार दीगोद के प्रस्ताव व ग्राम पंचायत पोलाईकलां की सहमति/अनापत्ति के आधार पर ग्राम पोलाईकलां तहसील दीगोद के खसरा संख्या 396 रकबा 2.95 हैक्टेयर भूमि में से 0.80 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी–I पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्व विद्यालय बीकानेर को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन आदेश क्रमांक प2(8)(136)राजस्व–II/17/1300–1307 दिनांक 09.04.2018 से आवंटित की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 96 सीपीसी प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है साथ उपरोक्त वर्णित आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है तथा अपीलांट का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का हित निहित नहीं है। उक्त आदेश न्यायिक आदेश न होकर एक प्रशासनिक आदेश है, जो अपील योग्य न होकर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत पुनरीक्षण योग्य है। ऐसी स्थिति में जेरकार अपील न्यायालय में पोषनीय नही है। अतः अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर/साक्ष्य पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि जिला कलक्टर कोटा द्वारा तहसीलदार दीगोद के प्रस्ताव व ग्राम पंचायत पोलाईकलां की सहमति/अनापत्ति के आधार पर ग्राम पोलाईकलां

अति. सं. आयुक्त
कोटा

तहसील दीगोद के खसरा संख्या 396 रकबा 2.95 हैक्टेयर भूमि में से 0.80 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी–I पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्व विद्यालय बीकानेर को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन आदेश क्रमांक प2(8)(136)राजस्व–II/17/1300–1307 दिनांक 09.04.2018 से आवंटित की गई है। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि ग्राम पोलाई कलां तहसील दीगोद जिला कोटा की कृषि आराजी खसरा संख्या 396 की रकबा 2.95 हैक्टेयर में से 1.20 हैक्टेयर रकबा पिछले 40 वर्षों से अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट के परिवार का भरण पोषण और आजिविका चली आ रही है। उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे की है तथा उसमें से ढाई बीघा रेस्पो0 2 एवं 3 के नाम आवंटन कर दी। आवंटन करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस नहीं दिये बिना ही आवंटन आदेश दिनांक 09.04.2018 पारित किया गया हैं। इसके विपरित रेस्पो0 पेरोकार सरकार का कथन है कि जिला कलक्टर कोटा द्वारा तहसीलदार दीगोद के प्रस्ताव व ग्राम पंचायत पोलाईकलां की सहमति/अनापत्ति के आधार पर ही उपरोक्त आराजी आवंटन आदेश दिनांक 09.04.2018 से आवंटित की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 96 सीपीसी प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है साथ उपरोक्त वर्णित आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है तथा अपीलांट का किसी प्रकार से हित निहित नहीं है। अपीलाधीन आदेश न्यायिक आदेश न होकर एक प्रशासनिक आदेश है, जो अपील योग्य न होकर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत पुनरीक्षण योग्य है। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि मुताबिक पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 ग्राम पोलाई कलां में "खसरा संख्या 396 रकबा 2.96 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (सिवायचक) की मौकां जांच मे उक्त खसरा की पूर्वी तरफ की लगभग 0.96 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में पड़त पड़ी है। भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।" अंकित किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत पोलाई कलां द्वारा तहसीलदार को प्रेषित पत्र दिनांक 20.12.2027 द्वारा ग्राम पंचायत कोरम बैठक दिनांक 20.12.2017 से स्वीकृति उपरांत भूमि आवंटन के प्रस्ताव के संबंध में अनापत्ति होना जाहिर किया गया है। इस प्रकार जिला कलक्टर, कोटा द्वारा तहसीलदार दीगोद के प्रस्ताव व ग्राम पंचायत पोलाईकलां की सहमति/अनापत्ति के आधार पर ही आवंटन आदेश दिनांक 09.04.2018 पारित किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित आराजी राजकीय सिवायचक भूमि होने तथा अपीलांट का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का हित निहित नहीं होना प्रकट होने से तथा प्रस्तुत अपील 96 सीपीसी प्रार्थना–पत्र के साथ पेश नहीं करने की स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2018 न्यायोचित प्रतीत होता हैं, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा उक्त आवंटन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7 निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा